

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व
महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, संस्कृति भवन, सिविल लाईन्स
रायपुर (छत्तीसगढ़)

“गढ़कलेवा” संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के तहत त्रुटि सुधार (संशोधन)
नियम व शर्तें

1. स्व सहायता समूह के स्थान पर महिला स्व सहायता समूह जिला रायपुर, पढ़ा जाये।
(रूचि के अभिव्यक्ति में केवल रायपुर जिले के महिला स्व सहायता समूह भाग ले सकते हैं।)
2. नियम व शर्त कंडिका 03 में दो वर्षों के अनुभव के स्थान पर 05 वर्षों अनुभव पढ़ा जाये। (रूचि के अभिव्यक्ति में केवल रायपुर जिले के महिला स्व सहायता समूह का अनुभव न्यूनतम पांच वर्ष होना अनिवार्य है।)
3. पिछले तीन वर्षों में किये गये उल्लेखनीय कार्यों का विवरण देना होगा।
(रूचि के अभिव्यक्ति में केवल रायपुर जिले के महिला स्व सहायता समूह छत्तीसगढ़ी व्यंजन विक्रय के क्षेत्र में पिछले तीन वर्ष के उल्लेखनीय कार्य का प्रमाण पत्र दें।)
4. पिछले तीन वर्षों का टर्न ओवर (आई.टी.आर.) प्रमाण पत्र देना होगा।
महिला स्व सहायता समूह की आडिटेड बैलेंस शीट अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. महिला स्व सहायता समूह का जी. एस. टी. पंजीयन अनिवार्य है।
6. रूचि की अभिव्यक्ति का समय परिवर्तन निम्नानुसार होगा।
ई.ओ.आई प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.07.2020 समय शाम 5.00 बजे तक।
ई.ओ.आई. जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.07.2020 समय अपरान्ह 02.00 बजे तक।
ई.ओ.आई खोलने की तिथि (तकनीकी प्रस्ताव) दिनांक 30.07.2020 समय अपरान्ह 03.00 बजे।
ई.ओ.आई. खोलने की तिथि (वित्तीय) प्रस्ताव दिनांक 04.08.2020 समय अपरान्ह 3.00 बजे।

उपरोक्त अनुसार रूचि की अभिव्यक्ति की त्रुटि सुधार विस्तृत विवरण अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इसे संचालनालय के वेबसाईड www.cgculture.in से भी देखा जा सकता है।


संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व

संशोधित तकनीकी प्रपत्र

1. स्वसहायता समूह का नाम एवं पूर्ण पता:-----

2. प्रपत्र की जमा शुल्क रसीद का विवरण:-----
3. कार्य का नाम:— महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर परिसर स्थित 'गढ़कलेवा' के संचालन कार्य।
4. पांच वर्षों का कार्य अनुभव का विवरण (प्रमाण पत्र सहित):-----

5. अमानत राशि :- रू 50,000 /—(रू. पचास हजार) मात्र
(डी.डी./एफ.डी.आर) संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर के नाम से
6. कार्य की अवधि/तिथि:— 31 मार्च 2022 तक के लिए
7. रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने वाले स्वसहायता समूह के अध्यक्ष/सचिव का आधार की सत्यापित छायाप्रति:-----
8. महिला स्व सहायता समूह का जी.एस.टी. नम्बर-----
9. वार्षिक टर्न ओवर

वर्ष	टर्न ओवर रूपये में
2017-18	
2018-19	
2019-20	
कुल रू.	
10. समूह की आडिटेड बैलेंस शीट अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करें।
11. महिला स्वसहायता समूह का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र:-----
12. खाद्य और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जारी फूड लायसेंस:-----
13. सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (रू. 50 /— का नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर):-----
.....

(स्व सहायता समूह का हस्ताक्षर एवं सील)